प्रेस विज्ञप्ति

23.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आतंकवादी समूह हिज्बुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के संबंध में 22.07.2024 को 02 आरोपियों नामत: अरशद अहमद अली और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया है। । उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

ईडी ने आरोपी अरशद अहमद अल्ली, फैयाज अहमद डार और अन्य शामिल आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत थाना जम्मू शहर, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की। 2019 में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया, जिससे ड्रग्स और अवैध नकदी की जब्ती और पहचान हुई।

ईडी की जांच में ड्रग तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच मिलीभगत के नेटवर्क का खुलासा हुआ। सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) को मेसर्स न्यू स्टाइल कार बाजार के नाम से सेकेंड-हैंड कारों की बिक्री और खरीद के व्यवसाय के तहत छिपाकर धन-शोधित किया गया था। अगले चरण में, इन्हें विध्वंसक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के एकमात्र उद्देश्य के लिए सक्रिय आतंकवादियों के हाथों में सौंप दिया गया। मामले में बैंक खातों की लेन-देन प्रोफाइलिंग से पता चला कि ड्रग्स की बिक्री के माध्यम से प्राप्त भारी नकदी जमा, कई संदिग्ध परस्पर लेनदेन के माध्यम से, धन के वास्तविक स्रोत और प्रकृति को छिपाकर, हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकवादी समूह से जुड़े सक्रिय आतंकवादियों के हाथों में पहुंचाई गई।

आगे की जांच जारी है।